

प्रश्न सं: [क.6677]


भोपाल, दिनांक 19 मार्च 2008

कमांक-एफ-7- 7 /2008/32- सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक-  
एफ-5-3/2006/1-3, दिनांक 23.2.2008 के अनुक्रम में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों  
के नियमितीकरण हेतु राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार छानबीन समिति का गठन किया  
जाता है:-

- |    |   |            |
|----|---|------------|
| 1- | प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आवास एवं पर्यावरण | अध्यक्ष    |
| 2- | संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश/अधीक्षण यंत्री  | सदस्य      |
| 3- | राजधानी परियोजना प्रशासन                    |            |
|    | उप संचालक (प्रशासन) संचालनालय,              | सदस्य सचिव |
|    | नगर तथा ग्राम निवेश/कार्यपालन यंत्री        |            |
|    | राजधानी परियोजना प्रशासन.                   |            |

2/ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र कमांक  
एफ-5-3/2006/1/3, दिनांक 16.5.07 एवं समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 8.2.08 एवं 23.2.  
08 में दिये गये दिशा-निर्देशानुसार दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण के संबंध में  
समिति अपना अभिमत इस विभाग को उपलब्ध करायेगी।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(सी.बी.पड़वार)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन


आवास एवं पर्यावरण विभाग

भोपाल, दिनांक 19 मार्च 2008

पृ.कं. एफ-7- 7 /2008/32

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की ओर  
परिपत्र कं. एफ-5-3/2006/1-3, दिनांक 23.2.08 के संदर्भ में सूचनार्थ  
प्रेषित।
  2. स्टाफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग.
  3. संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल।
  4. अधीक्षण यंत्री, राजधानी परियोजना प्रशासन, भोपाल।
  5. उप संचालक (प्रशासन) संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल।
  6. कार्यपालन यंत्री, राजधानी परियोजना प्रशासन, भोपाल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। छानबीन समिति के सदस्य सचिव  
कृपया तत्काल समिति की बैठक आयोजित करायें।



अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग

- 59 -